राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/1256/2013/(लिंक नं. 43424)/अलेसे–III/3375-79 दिनांक :–17.05.2024

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5604/2024 रेखराज माली बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 द्वारा निर्देश प्रदान किए है कि श्री रेखराज माली द्वारा विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर ऐसे समान अन्य प्रकरण एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8779/2021 विजेन्द्र चौधरी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 के अनुसार निस्तारित करें। विजेन्द्र चौधरी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के वाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 का अंश निम्नानुसार है:–

"For the purpose aforesaid, the petitioners shall file representation before the competent authority giving out the requisite details along with certified copy of the order instant within a period of four weeks from today. On receipt of the representation, the concerned respondent shall decide the same, in accordance with law within a period of eight weeks from the date of receipt of the representation and accord notional benefits to the petitioners from the date persons similarly situated to them and lower in merit were given appointment."

उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी प्रथम परीक्षा परिणाम 07.06.2017 के उपरान्त जारी रिशफल परीक्षा परिणाम दिनाक 17.05.2018 के परिणाम स्वरूप विलम्ब से नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उनसे अधिक मेरिट के अभ्यर्थियों के कनिष्ठ लेखाकार पद के प्रथम नियुक्ति आदेशों (जून 2017) से कार्यग्रहण करने की तिथि से काल्पनिक परिलाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में मान० उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गयी।

उक्त एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8779/2021 विजेन्द्र चौधरी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में मान० उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 के क्रम में सम्बन्धित याचिकार्थियों द्वारा कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी प्रथम परीक्षा परिणाम 07.06.2017 से चयनित अभ्यर्थियों के समान (प्रथम नियुक्ति आदेशों (जून 2017) से कार्यग्रहण करने की तिथि से) काल्पनिक परिलाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए।

उक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में रिशफल परीक्षा परिणाम दिनाक 17.05.2018 से नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनसे अधिक मेरिट के अभ्यर्थियों के कनिष्ठ लेखाकार पद के प्रथम नियुक्ति आदेशों (जून 2017) के क्रम में कार्यग्रहण करने की तिथि 03 जुलाई 2017 से काल्पनिक परिलाभ दिये जाने एवं काल्पनिक परिलाभ के परिणामस्वरूप किसी प्रकार का नकद वित्तीय लाभ नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

राज्य सरकार से प्राप्त उक्त निर्देशों के क्रम में कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा–2013 में रिशफल परीक्षा परिणाम दिनांक 17.05.2018 से नियुक्ति प्राप्त करने वाले उन कनिष्ठ लेखाकारों के संबंध में जो दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में स्थाई है तथा जिनकी रिक्ति वर्ष–2022–23 के विरूद्ध कनिष्ठ

निरन्तर–2

लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति की जा चुकी है, विभागीय आदेश संख्या 1284 दिनांक 24.01.2024 द्वारा काल्पनिक परिलाभ दिये जाने के आदेश जारी किये जा चुके है।

चूंकि श्री रेखराज माली की कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण दिनांक 10.02.2021 होने के कारण इनका 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण किये जाने के उपरान्त विभागीय आदेश सं. 69/2023–24 दिनांक 26.10.2023 द्वारा दिनांक 10.02.2023 से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर स्थायीकरण किया गया है। पूर्व में श्री रेखराज माली, कनिष्ठ लेखाकार की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में अस्थायी होने के कारण सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति नहीं की गई थी। वर्तमान में राज्य सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में श्री माली की कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर डी.पी.सी. वर्ष 2022–23 के विरूद्ध पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री रेखराज माली के पदोन्नति आदेश जारी होने के उपरान्त विभागीय उपरोक्त आदेश संख्या 1284 दिनांक 24.01.2024 के अनुरूप काल्पनिक परिलाभ दिये जाने के आदेश जारी कर दिये जायेगें।

तद्नुसार श्री माली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/1256/2013/(लिंक नं. 43424)/अलेसे–III/3375-79 दिनांक :– 17.05.2024

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक **(एसीपी)** को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री रेखराज माली, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सांप्रदायिक दंगे प्रकरण, टोंक। **(रजिस्टर्ड)**

(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)